

## प्रेस नोट जनपद पीलीभीत दिनांक 25.03.21

दिनांक 23.03.21 को थाना बीसलपुर क्षेत्र में दो लड़कियों को शव कासिमपुर गांव के भट्टे पर पाये गये थे जिनकी पोस्टमार्टम कराया गया जिससे एक की मृत्यु गला घोटने तथा दूसरे की हैंगिंग से मृत्यु होना पाया गया। जिसपर थाना बीसलपुर में मु0अ0सं0-132/21 धारा-302/201 भादवि पंजीकृत किया गया। घटना का सफल अनावरण करते हुये दिनांक 25.03.21 को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

### अभियुक्तों के नाम:

1. रामप्रताप(भाई) पुत्र भूपराम शर्मा निवासी ग्राम बिलासपुर थाना बिलसन्डा
2. श्रीमति कमलादेवी(माता) पत्नि भूपराम निवासी ग्राम बिलासपुर थाना बिलसन्डा
3. अलीहसन अंसारी पुत्र हाजी मेहंदी हसन निवासी मौ0 ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत(भट्टा मालिक)

पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, भट्टे पर काम करने वाले कर्मचारियों, मजदूरों तथा उनके परिवारों से सघन पूछताछ की गई। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। सभी संदिग्धों के फोन नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर पूछताछ की गई तो घटना इस प्रकार होना ज्ञात हुआ। लड़कियां फोन से बात कर रही थीं-परिवार द्वारा देख लिये जाने पर पूछताछ की गई कि किससे बात कर रही है, नहीं बताने पर गला दबाकर दो सगे भाइयों रामप्रताप व विजय प्रताप तथा माता कमला देवी द्वारा हत्या कर दी गई। घटना का अन्य रूप देने के लिये एक की लाश सड़क के किनारे रख दिया और एक की पेड़ पर लटका दिया। सड़क पर पड़ी लाश को परिवार के अलावा किसी ने नहीं देखा। हत्या की घटना सांय 7 से 7.30 बजे के आसपास की है। लाश को छिपाने व लटकाने में रामप्रताप के बहनोई अनिल का भी सहयोग था।

पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि बड़ी लड़की फोन से महेश नामक लड़के से बात कर रही थी। बार-बार पूछे जाने पर भी लड़कियों ने नाम नहीं बताया। घरवालों को यह जानकारी नहीं थी कि इनके पास फोन है। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि यह फोन संजीव नामक लड़के ने दिया था जो उसी भट्टे पर काम करता है। संजीव छोटी लड़की और महेश बड़ी लड़की से बात करता था। परिवार वालों ने बड़ी लड़की की शादी तय कर रखी थी। लड़कियों के इस व्यवहार के कारण नाराज होकर घटना कारित कर दी गयी।

घटना के बाद राम प्रताप व विजय प्रताप ने फोन से रामदास लेबर ठेकेदार को सूचना दी कि एक लड़की की मृत्यु हो गई है और बड़ी लड़की मिल नहीं रही है। रामदास उस समय ग्राम विलासपुर में था। वहां से आने पर घटना की जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि घर वालों ने ही मारा है। इस पर रात करीब 22.55 बजे मजदूरों के ठेकेदार रामदास ने भट्टा मालिक को हत्या की सूचना दी कि भट्टे पर लड़की की हत्या हो गई है। भट्टा मालिक ने भी पुलिस को सूचना नहीं दी और लाश को हटाने की सलाह दी। दूसरे दिन पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी भट्टा मालिक ने सही बात नहीं बताई।

घटना में शामिल शेष दो अभियुक्तों विजय प्रताप व अनिल की तलाश की जा रही है।